"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 16, 1932)

क्रमांक-12504/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 25 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह 01 अप्रैल 2011 से प्रवृत्त होगा.

धारा 25 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खण्ड (चार) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

" (पांच) आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10 % अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा. "

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1\. "छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 के अधीन आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं पर शुल्क (ड्यूटी) अधिरोपित किया जाता है. राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, स्थानीय निकायों के संसाधन में वृद्धि करने हेतु आबकारी शुल्क योग्य वस्तुओं के लिए, विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10 % अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा. "

2\. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर

दिनांक 30 नवम्बर, 2010

" संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित "

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा-25 का सुसंगत उद्धरण-

* * * * * * * * * * * * * *

धारा-25 आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क :-

उप-धारा (1) :- यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश दे तो यथास्थिति आबकारी शुल्क या कोई प्रतिशुल्क औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, 1955 (क्रमांक 16 सन् 1955) की अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट औषधीय तथा प्रसाधन निर्मितियों से भिन्न आबकारी शुल्क योग्य समस्त ऐसी वस्तुओं पर उद्ग्रहित किया जाएगा.

(ए) जिनका आयात किया गया हो, या

(बी) जिनका निर्यात किया गया हो, या

(सी) जिनका परिवहन किया गया हो, या

(डी) जो धारा 13 के अधीन मंजूर की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्मित की गई हों, खेती में उपजाई गई हों अथवा संग्रहित की गई हों, या

(ई) जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई किसी आसवनी में या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त की गई किसी आसवनी या मद्य निर्माण शाला में विनिर्मित की गई हो ;

परन्तु राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि, वह आबकारी शुल्क योग्य किसी भी वस्तु को किसी ऐसे शुल्क से, जिसके लिये कि, वह इस अधिनियम के अधीन दायित्वाधीन हो छूट दे.

उप-धारा (2) :- उप-धारा (1) के अधीन शुल्क का अधिरोपण :-

(एक) उस स्थान के, जहां किसी आबकारी शुल्क योग्य वस्तु को ले जाया जाना है, या

(दो) आबकारी शुल्क-योग्य वस्तु की शक्ति (स्ट्रेन्थ) और उसकी क्वालिटी के, या

(तीन) आबकारी शुल्क-योग्य वस्तु का विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग के अनुसार विभिन्न दरों से किया जा सकेगा, या

(चार) ऐसे सिद्धान्तों पर, जो कि विहित किये जाएं, आधारित आबकारी शुल्क-योग्य वस्तुओं के मूल्य के.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010